न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 20/2022

श्री रमजान पुत्र श्री छोटू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज गुप्ता,वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर,सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 12.12.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2078 में श्री रमजान पुत्र श्री छोटू, जाति मेरात, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम लसाडिया के सिवायचक (पहाड़) आराजी खसरा नम्बर 1783/1782 रकबा 3.4189 हैक्टर में से रकबा 0.0809 हैक्टर पर नींव भरकर एवं पांच दुकानों का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 30/2022 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.03.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही कब्जे पर फसल/पत्थर आदि सामग्री पड़ी हो तो जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.03.2022 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का के बयानों को क्रॉस करने का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से गलत एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है जबकि कानूनन एकतरफा रिपोर्ट साक्ष्य में कतई ग्राह्य नहीं है एवं एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों के विपरीत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया था परन्तु अपीलान्ट के जवाब पर विचार एवं विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। उन्होंने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व कानूनी प्रावधानों को पूर्ण विवेचन किये बिना साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित किया गया है जो विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर कोई पहाड़ स्थित नहीं है बल्कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी को काफी रूपया–पैसा खर्च कर समतल बनाकर उपयोगी बनाया है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से करीबन 60–70 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। अतः बेदखली की कार्यवाही किये जाने के बजाय नियमानुसार शुल्क जमा कर विवादित आराजी का अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किया जाना चाहिये। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा नींव भरकर एवं पांच दुकानों का निर्माण कर सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में पहाड़ दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने स्वयं को पश्चातवर्ती अतिचारी बताते हुए विवादित भूमि का नियमन उनके पक्ष में करने का निवेदन किया है किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, सरासर गलत एवं तथ्यों से परे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से नींव भरकर एवं पांच दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित आराजी की किस्म राजस्व अभिलेख में पहाड़ दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर